न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 175/2020

1. सतवीर पुत्र रामकिशन जाति जाट निवासी डाबड़ी त0 भादरा। :— **वादी**

ब ना म

1. रामकिशन पुत्र तरखाराम जाति जाट निवासी डाबड़ी त0 भादरा।
2. सुशीला पुत्री रामकिशन जाति जाट निवासी डाबड़ी त0 भादरा।
3. उर्मिला पुत्री रामकिशन जाति जाट निवासी डाबड़ी त0 भादरा।
4. निर्मला पुत्री रामकिशन जाति जाट निवासी डाबड़ी त0 भादरा।
5. माया रानी पत्नी पवन जाति जाट निवासी डाबड़ी त0 भादरा।
6. सृष्टि
7. संध्या
8. सुर्य कुमार

} पुत्र- पुत्री पवन कुमार नाबालिगान जरिये वली कुदरती माता मायारानी पत्नी पवन कुमार जाति जाट निवासी डाबड़ी त0 भादरा जिला हनुमानगढ़।

9. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट—ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र शर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री जयकिशन गोदारा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रतनपुरा खाता सं0 67/65 के खसरा सं0 24 की 1.3660है0, खसरा सं0 26 की 7.7780है0 कुल 9.1440है0, इसी प्रकार रोही रतनपुरा के खाता सं0 310/300 के खसरा सं0 192 की 2.5540है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 रामकिशन के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं 1 रामकिशन का नाम कलमजन कर वादी 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 5 ता 8 को संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादी स0 1 ता 4 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 5 ता 8 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सं 1 सतवीर 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 5 मायारानी, प्रतिवादी सं0 6 सृष्टि, प्रतिवादी सं0 7 संध्या व प्रतिवादी सं0 8 सूर्य कुमार (प्रतिवादी सं0 5 ता 8)को संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 18.01.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:06:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 175/2019

1. सतवीर पुत्र रामकिशन जाति जाट निवासी डाबडी त0 भादरा।

:– **वादी**

ब ना म

1. रामकिशन पुत्र तरखाराम जाति जाट निवासी डाबडी त0 भादरा।
2. सुशीला पुत्री रामकिशन जाति जाट निवासी डाबडी त0 भादरा।
3. उर्मिला पुत्री रामकिशन जाति जाट निवासी डाबडी त0 भादरा।
4. निर्मला पुत्री रामकिशन जाति जाट निवासी डाबडी त0 भादरा।
5. माया रानी पत्नी पवन जाति जाट निवासी डाबडी त0 भादरा।
6. सृष्टि
7. संध्या
8. सुर्य कुमार

} पुत्र– पुत्री पवन कुमार नाबालिगान जरिये वली कुदरती माता मायारानी पत्नी पवन कुमार जाति जाट निवासी डाबडी त0 भादरा जिला हनुमानगढ।

9. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री नरेन्द्र शर्मा : **वादी**
वकील श्री जयकिशन गोदारा : **प्रतिवादीगण**

निर्णय **दिनांक :** 18-01-2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा रतनपुरा खाता सं0 67/65 के खसरा सं0 24 की 1.3660है0, खसरा सं0 26 की 7.7780है0 कुल 9.1440है0, इसी प्रकार रोही रतनपुरा के खाता सं0 310/300 के खसरा सं0 192 की 2.5540है0 व खसरा सं0 684/2 की 1.771है0 कुल 4.3250है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 रामकिशन के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले प्रतिवादी सं 1 के पिता तरखाराम की खातेदारी हुआ करती थी। तरखाराम से विरासतन उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 रामकिशन ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में [illegible] के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मु[illegible]त है।

वाद पेश होने पर दर्ज [illegible] को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील [illegible] एवं प्रतिवादी सं 1 ता 8 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। व प्रति[illegible] सं 9 को तर्क अंकित किया। प्रतिवादीगण गण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर त[illegible] की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु सतवीर पुत्र रामकिशन जाति जाट निवासी डाबडी के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम रतनपुरा संवत 2060–63

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:06:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रदर्श 1, जमाबंदी भू प्रबंध विभाग संवत 2036—38 प्रदर्श 2, जमाबंदी भू प्रबंध विभाग संवत 2029—38 प्रदर्श 3, जमाबंदी रोही मोजा डाबडी संवत 2055 प्रदर्श 4 व वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने ग्राम डाबडी के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 5 में वारिसप्रमाण पत्र में दो पुत्र सतवीर, पवन व 3 पुत्री सुशीला, उर्मिला, निर्मला व **पवन की मृत्यु होने पर उसके वारिस मायारानी—पत्नी सृष्टि—पुत्री, संध्या—पुत्री, व सुर्य कुमार—पुत्र** अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। रोही मौजा रतनपुरा खाता सं0 67/65 के खसरा सं0 24 की 1.3660है0, खसरा सं0 26 की 7.7780है0 कुल 9.1440है0, इसी प्रकार रोही रतनपुरा के खाता सं0 310/300 के खसरा सं0 192 की 2.5540है0 व खसरा सं0 684/2 की 1.771है0 कुल 4.3250है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 रामकिशन के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में खाता सं0 310/300 के खसरा सं0 684/2 की 1.771है0 भूमि रामकिशन के नाम यथावत रखते हुए शेष वाद भूमि में प्रतिवादी सं 1 रामकिशन का नाम कलमजन कर वादी 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 5 ता 8 को संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा के खातेदार घोषित किये जावें। चूकिं प्रतिवादी सं 1 ता 4 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 5 ता 8 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रतनपुरा खाता सं0 67/65 के खसरा सं0 24 की 1.3660है0, खसरा सं0 26 की 7.7780है0 कुल 9.1440है0, इसी प्रकार रोही रतनपुरा के खाता सं0 310/300 के खसरा सं0 192 की 2.5540है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 रामकिशन के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रतिवादी सं 1 रामकिशन का नाम कलमजन कर वादी 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 5 ता 8 को संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादी स0 1 ता 4 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 5 ता 8 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सं 1 सतवीर 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 5 मायारानी, प्रतिवादी सं0 6 सृष्टि, प्रतिवादी सं0 7 संध्या व प्रतिवादी सं0 8 सूर्य कुमार को संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री [illegible]

निर्णय आज दिनांक 18-01-2021 [illegible] लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.21 10:06:03 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरR.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट—ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner